न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मुकेश बनाम अमित वगैरह
किस्म मुकदमा– 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 475/2025 (मौजमाबाद)

475/2025

रि.सा.05
08/10/25

	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	
01.10.2025	मुकेश बनाम अमित कुमार वगैरह (2025/475) यह अपील श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 152/2025 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 08.10.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
08.10.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 06.10.2025 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि उक्त अपील प्रस्तुत करने से पूर्व वादी/रेस्पोडेन्ट के पिता सुरेश ने एक वाद बाबत निरस्त किये जाने विक्रय पत्र सिविल न्यायधीश वरिष्ठ खण्ड उनवानी सुरेश चन्द बनाम महेश चन्द वगै के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था उक्त वाद दिनांक 05.05.2025 को सुरेश को लौटा दिया गया। इसके पश्चात सुरेश जो कि अमित का पिता है उसने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद के यहा उनवानी सुरेश बनाम महेश प्रस्तुत किया है जो कि उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद के यहां वर्तमान में लंबित है जिसके वाद संख्या 85/25 है उक्त वाद में अपीलार्थी व सुरेश के अधिवक्ता उपस्थित आ रहे है उक्त प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अमित के पिता सुरेश द्वारा प्रस्तुत लंबित वाद में स्थगन प्रदान करना उचित नही समझा। आश्चर्यजनक रूप से सम्पूर्ण विधिक आज्ञापक प्रावधानों को दरकिनार कर जिस सम्पत्ति बाबत पिता द्वारा वाद लंबित है तथा पिता का भी वाद में हक बनेगा या नहीं यह भी अभी तक अनिर्धारित है परन्तु सुरेश के पुत्र द्वारा प्रस्तुत वाद में अंतरिम स्थगन जारी कर दिया, जिस सम्पत्ति में पिता को स्थगन प्रदान कर दिया इससे अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही पूर्णतया अवैधानिक हो जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2025 निरस्त इसी एकमात्र आधार पर किया जाना न्यायोचित है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 05.08.2025 की क्रियान्विति स्थगित रखी जावें। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील मिमों तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.08.2025 को	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

मुकेश बनाम अमित वगैरह

किस्म मुकदमा– 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 477/2025 (मौजमाबाद)

477/2025

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया जिसे दर्ज कर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अंतरिम स्थगन आदेश आगामी पेशी दिनांक 14.08.2025 तक जारी किये गये। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र का अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं सीधे ही अपील प्रस्तुत की है। जो राजस्व मंडल के द्वारा जगदीश बनाम भोपालाराम वृहद पीठ के प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विधि सम्मत नहीं है। इस संबंध में न्यायालय हाजा का यह मत है कि जब अपीलांट के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिक उपचार उपलब्ध है तो जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे अपील के माध्यम से अपीलाधीन अंतरिम आदेश को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा अपीलांट के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अपील के माध्यम से अंतरिम स्थगन आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या संख्या 152/2025 एवं 83/2025 को समेकित करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी

अजमेर

Scanned with CamScanner

श्री सुरेन्द्र शर्मा एडवोकेट अपीलान्ट की अपील आज प्रस्तुत की।
[illegible]
राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर 6/10/25

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय,

अजमेर जिला अजमेर राज0

राजस्व अपील संख्या ...477.../25 475/2025

मुकेश पुत्र स्व0 मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

-- अपीलाण्ट

बनाम

475/2025
6.10.25

1. अमित कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

रेस्पोडेंट

2. अनिता पुत्री सुरेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
3. कुनिका पुत्री सुरेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
4. राधेगोविन्द पुत्र श्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
5. राजेश पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
6. रामवतार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
7. विष्णु पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

मुकेश शर्मा

Scanned with CamScanner

8. अतुल पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
9. आशीष पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
10. रश्मि पुत्री रमेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
11. दोलतराम पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
12. नर्बदा पुत्री श्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
13. सुरेशचन्द पुत्र श्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
14. महेश पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
15. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
16. सबरजिस्ट्रार कार्यालय मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

-- तरतीबी पक्षकार

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्ध आदेश माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद जिला जयपुर दिनांक 05/08/2025, प्रार्थना-पत्र संख्या 152/2025 उनवानी अमित बनाम अनिता में प्रार्थी/अपीलार्थी की आराजीयात पर बगैर सुने ही एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी कर दिया के विरूद्ध

श्रीमानजी,

अपीलाण्ट की ओर से अपील निम्न तथ्यों के साथ सादर प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी जो कि सुरेश कुमार का लडका है उसने एक वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद के यहां प्रस्तुत किया। वाद पत्र के

Scanned with CamScanner